जमानत आवेदन क्रमांक 903/2022
आरक्षी केन्द्र पामगढ़
अपराध क्रमांक 397/2022
धारा 294, 506, 323, 307, 34 भा.द.सं.

न्यायालय :–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर,

जिला जांजगीर चांपा छ.ग.

जमानत आवेदन क्रमांक–903/ 2022

(अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.)

फिरतुराम उर्फ दउवा उम्र 62 वर्ष पिता रामाधीन

जाति साहू, निवासी ग्राम भैंसो, थाना पामगढ़,

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

छ.ग. शासन,

द्वारा– आरक्षी केन्द्र पामगढ़

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .....**अभियोजन**

14.10.2022

आवेदक फिरतूराम उर्फ दउवा की ओर से श्री अनिल सराफ अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से श्री बी.के. मिश्रा अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण आज जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु नियत है।

विचारण न्यायालय से रिमाण्ड प्रपत्र अपराध क्रमांक 397/2022 प्राप्त, अवलोकन किया गया।

थाना पामगढ़ से अपराध क्रमांक 397/2022 की केस डायरी प्राप्त।

आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण के आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त कई प्रकार के बीमारी से ग्रसित है और काफी वृद्ध हो चुका है, जिसका ईलाज चल रहा है और वर्तमान में भी ईलाजरत है तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण में काफी विलंब होने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम भैसो, थाना पामगढ़ का मूल निवासी है, जहां उनकी चल एवं अचल संपत्ति अवस्थित है।

आवेदन की कंडिका 06 में यह उल्लेखित है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इस आशय का माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय तथा किसी भी सत्र न्यायालय में लंबित नहीं है, ना ही निराकृत किया गया है। उक्त कथनों के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पुत्र कन्हैया लाल साहू द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया है।

उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने तर्क में आवेदन के कथनों की पुनरावृत्ति की गई है तथा अपर लोक अभियोजक ने आवेदन पर आपत्ति व्यक्त किया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी/अभियुक्त फिरतू राम उर्फ दउवा के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 307/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध क्रमांक 397/2022 पंजीबद्ध किया गया है।

अभियोजन प्रकरण के अनुसार प्रार्थी के साथ दिनांक 29/09/2022 को आरोपी एवं उसके सह आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी को हाईवा हटाने के लिये बोलने वाला कौन होता है कहकर अश्लील गाली गलौच करने लगे एवं जिसे प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपी एवं सह आरोपीगण द्वारा एक राय होकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच देते हुए आरोपी एवं सह आरोपीगण अपने हाथ में व्हील पाना, डण्डा, ईंट का टुकड़ा, राड लेकर जान से मारने की नियत से हत्या करने के लिए संघातिक चोट प्रार्थी तथा उसके पिता को पहुंचाये। जिससे प्रार्थी को सिर में, चेहरे में, ओंठ के पास एवं पेट के दाहिने व बांये भाग मे सह आरोपी द्वारा पेचकस से हत्या करने की नियत से मारने से काफी गहरा चोट लगा। घटना के पश्चात् प्रार्थी एवं उसके पिता नंदकुमार प्रजापति को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पामगढ़ अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षण कर गंभीर चोट होना बताते हुये अग्रिम चिकित्सा हेतु रिफर कर दिया तथा केस डायरी के साथ संलग्न प्रतिवेदन मे प्रकरण का आहत राजेश प्रजापति रायपुर में ईलाजरत

है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. आवेदन निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को रिमाण्ड प्रपत्र सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

इस आदेश की प्रति संबंधित आरक्षी केन्द्र को केस डायरी सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

यह जमानत प्रकरण समाप्त।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावें।

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0